"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2010—भाद्र 26, शक 1932

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तरसेम सिंह आत्मज स्वर्गीय प्यारा सिंह, उम्र-54 वर्ष, निवासी-क्वार्टर नं. 2/ए, स्ट्रीट 10, सेक्टर 1 भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र नरेन्द्र सिंह के कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं के अंकसूची में नाम का स्पेलिंग गलत हो गया है. गलत स्पेलिंग इस प्रकार है Narendra Singh तथा बी. काम प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में Narender Singh दर्ज है जो सही है. मैं सही नाम Narender Singh दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को Narender Singh आत्मज तरसेम सिंह के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
Narendra Singh आत्मज-श्री तरसेम सिंह निवासी-क्वार्टर नं. 2/ए, स्ट्रीट 10 सेक्टर 1, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	Narender Singh आत्मज-श्री तरसेम सिंह निवासी-क्वार्टर नं. 2/ए, स्ट्रीट 10 सेक्टर 1, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Subadha Kumar आत्मज Niranjan Sahoo, उम्र-41 वर्ष, निवासी-104/ए, रूवाबांधा सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पत्नी श्रीमती ज्योत्सना साहू के बी. एस. पी. रिकार्ड में मेरा नाम Subodh Kumar Sahoo दर्ज हो गया जो कि गलत है. उक्त सर्विस रिकार्ड में मैं अपना सही नाम Subadha Kumar दर्ज करवाना चाहता हूं जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे Subadha Kumar S/o Niranjan Sahoo के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
Subodh Kumar आत्मज-श्री Niranjan Sahoo निवासी-104/ए रूवाबांधा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	Subadha Kumar आत्मज-श्री Niranjan Sahoo निवासी-104/ए रूवाबांधा सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Bilaspur, the 5th July 2010

No. SBC/CG/Biennial Election/2010.— It is hereby notified for general information of all concerned that in the Biennial Election meeting of the Bar Council of Chhattisharh held on 04-07-2010 Mr. Shailendra Dubey is elected as Chairman, Mr. Santosh Kumar Verma is elected as Vice-Chairman and Mr. Devesh Dixit is elected as Treasurer of Chhattisharh Bar Council. The addres of Chairman, Vice Chairman and Treasurer are given below :

1. Mr. Shailendra Dubey — Chairman
   1-Shivayatan Hari Krishan Colony
   Bilaspur (C. G)
   Mob. No. 98271-84655
   Ph. No. 07752-324506.

2. Mr. Santosh Kumar Verma — Vice-Chairman
   Zone-2, Street No. 6
   New Adarsh Nagar, Durg (C. G)
   Mob. No. 98271-78713
   Ph. No. 0788-2330054.

3. Mr. Devesh Dixit — Treasurer
   Dixit Chawl Chantapara
   Bilaspur (C. G)
   Mob. No. 98271-51952.

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH
SUMMERISED FINANCIAL STATEMENT
BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2008

Bilaspur the 12th August 2010

Ref/SBC/CG/audit 2007-08/2010/274.—

Funds & Liabilities (1)	(2)	Amount (3)
GENERAL FUND B/F	30118404.11	41586991.55
ADD SURPLUS FOR THE YEAR.	7279622.44	
RECEIVED FROM M. P.	4188965.00	
AMALGAMTED FUND B/F	3351900.00	4187704.00
ADD ADDITION FOR THE YEAR.	277304.00	
CONTRIBUTION OF MEMBER.	558500.00	
CURRENT LIABILITIES		1533112.00
AID FROM C. M. C. G. GOVT. (against death claim).	900000.00	
SEMINAR ACCOUNT (BCI).	100000.00	
BAR COUNCIL OF INDIA-DELHI	533112.00	
OTHER LIABILITIES		7949.00
PAYABLE TAX OF FBT	7949.00	
TOTAL		47315756.55

Property & Assets (1)	(2)	Amount (3)
FIXED ASSETS		372209.37
AIR CONDITIONER	16839.42	
ALMIRAH	22967.89	
BALLAT BOX	48169.80	
CHAIR	3542.94	
COMPUTER SYSTEM	93503.00	
COOLER	10203.82	
HINDI TYPING MACHIN	3542.94	
OFFICE FURNITURE	107764.35	
OFFICE MACHIN	688.91	
PIGEN HOLE FOR ELECTION 2007.	44245.80	
SOUND BOX & MIKE SYSTEM.	20740.50	
INVESTMENT-FIXED DEPOSIT		41919817.57
FIXED DEPOSIT M. P.	4569212.00	
FIXED DEPOSIT SBC AMF FUND.	2916812.00	
FIXED DEPOSIT SBC OF C. G.	2518202.00	
INTEREST ACCURUED ON FIXED DEP.	3596741.57	
FIXED DEPOSIT SBC AKY 1989 (C. G.)	9035373.00	
FIXED DEPOSIT AKN STAMP (M. P.)	745857.00	
FIXED DEPOSIT AKN STAMP (C. G.)	13377085.00	
FIXED DEPOSIT AWF OF BCI.	5140227.00	
SEC DEPOSIT OF ELECTRICITY	1240.00	
TDS DEPOSIT	19068.00	
RECEIVABLE FROM		43459.00
ADVANCE FOR ELECTION.	354.00	
SBC OF M. P. (RECEIVEABLE)	43105.00	
BANK BALANCE		4980270.61
SBI A/C NO. 10597654630 (GEN)	1483060.05	

Funds & Liabilities (1)	(2)	Amount (3)	Property & Assets (1)	(2)	Amount (3)
B F.		47315756.55	SBI A/C NO. 10597654890 (AMF)	554512.81	
			SBI A/C NO. 30034430634 (LIB.)	338964.00	
			SBI A/C NO. 10597654969 (AKN)	988908.06	
			SBI A/C NO. 10597654969 (AKY 1989)	310962.22	
			SBI A/C NO. 10597654914 (AWF)	1226217.21	
			SBI A/C NO. 10597654925 (FBS)	41068.26	
			UNION BANK OF INDIA A/C 9360	4411.00	
			UNION BANK OF INDIA A/C 9340	14222.00	
			CASH IN HAND	17945.00	
TOTAL		47315756.55	TOTAL		47315756.55

CERTIFICATE

Certified That The Above Statement is True And Correct

FOR AND ON BEHALF OF

State Bar Council of Chhattisgarh-Bilaspur for,

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Accountant	Secretary	Chairman

CERTIFICATE

Subject To Our Report of Even Date Attached.

M/s. G. M. GUPTA & Company
Chartered Accountants

Sd/-
(G. M. GUPTA M. Com. FCA, DISA)
Proprietor.

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31 ST MARCH 2008

Expenditurs (1)	Amount (2)	Income (1)	Amount (2)
TO REVENUE EXPENSES		BY RECEIPT GENERAL A/C	
AUDIT FEES	13053.00	COMPLAIN REGISTRATION FEES	24600.00
COMPUTER EXPENSES	50211.00	ELECTION DEPOSIT 2007	330000.00
COMMISSON	354140.00	ENROLMENT FEES	573550.00
ELECTRIC & WATER BILL	22571.00	ENROLMENT FORM	400250.00
TELEPHONE EXPENSES	42509.00	RECEIVED FROM D. C. CASES	8500.00
INCIDENTAL EXPENSES	25168.00	RECOGINAGATION FEES	5000.00
MEDICAL ASSISTANCE	5000.00	SBC OF C. G. LIBRARY FUND	269200.00
ADVERTISMENT EXPS. FOR THE POST OF SECRETARY.	33091.00	SUNDRY CHANGE OF ADDRESS & PLACE	35250.00
		SUNDRY ENROLMENT	666465.00
MEETTING EXPENSES	30858.00	SUNDRY IDENTITY CARD	26900.00
OFFICE MAINTENACE EXPS.	30434.00	SUNDRY SANAD, SUSPENSION, RESUMP	28400.00
OTHER MISC. EXPENSES	46057.00	SUNDRY TRANSFER FROM TO C. G.	40140.00
T. A. & D. A. EXPENSES	163359.00	INTEREST ON FDR (INCLUDING AMF 268156).	3477147.00
POSTAGE EXPS.	35313.00		

Expenditurs (1)	Amount (2)	Income (1)	Amount (2)
SALARY	352346.00	INTEREST FROM BANK (INCLUDING AMF 9148).	119365.00
20% MEMBERSHIP SHARE (BCI)	286314.00		
ADVOCATED MEDICAL ASSISTANCE	48000.00		
BANK CHARGES	840.00	BY ADHIVAKTA KALYAN NIDHI STAMP A/C	
MISCELLANEOUS EXPENSES	31033.00	CONSOLIDATED FUND ABOVE 45 YEAR	795000.00
PRINTING & STATIONERY & PHOTOCOPY.	51493.00	STAMP SALE 10/- EACH (STAMP No. 314850).	3148500.00
REMUNERATION (INCLUDING PAYMENT OF OSD)	81642.00	STAMP SALE 25/- EACH (STAMP No. 35948).	898700.00
LEGAL EXPS. -I T. MATTER	20000.00	STAMP DUTY FEES	279000.00
TO FREINGE BENEFIT TAX	16147.00	BY ADHIVAKTA KALYAN YOJNA 1989 A/C	
TO DEATH CLAIM	3100000.00	MEMBERSHIP FEE UP TO 30 YEAR	484000.00
		MEMBERSHIP FEE UP TO 40 YEAR	195000.00
TO DEPRECIATION	41356.56	MEMBERSHIP FEE UP TO 45 YEAR	18000.00
		SUNDRY RECEIPT	32600.00
TO SBC OF CG ELECTION 2007 EXP	849275.00		
		BY ADVOCATE WELFARE FUND A/C	1431570.00
SURPLUS INCOME	7556926.44		
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE			
AMOUNT TR. TO GEN FUND 7279622.44			
AMOUNT TR. TO AMF FUND 277304.00			
TOTAL	13287137.00	TOTAL	13287137.00

CERTIFICATE

Certified That The Above Statement is True And Correct

FOR AND ON BEHALF OF

State Bar Council of Chhattisgarh-Bilaspur for,

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Accountant	Secretary	Chairman

CERTIFICATE

Subject To Our Report of Even Date Attached.

M/s. G. M. GUPTA & Company
Chartered Accountants

Sd/-
(G. M. GUPTA M. Com. FCA, DISA)
Proprietor.

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2010

प्रकरण क्र. ब/113 (1) वर्ष 2009-10

क्रमांक /502/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2010.— चूंकि एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक देव नारायण तिवारी निवासी अश्वनी नगर रायपुर ने " श्री सांई बाबा मंदिर गोल चौक रोहिणी पुरम, रायपुर न्यास रायपुर " के नाम से लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के माध्यम से उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 20-09-2010 को होगी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री सांई बाबा मंदिर गोल चौक रोहिणी पुरम, रायपुर न्यास, रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	13,000 रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	डंगनिया प. ह. नं. 104 खसरा नं. 74/6, 76/3, 5, व 76/8, रकबा कुल रकबा 0.027 हे. (2905 वर्गफुट).

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./522.—जागृति उप. भंडार सहकारी समिति मर्या. कोरबा वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 2628 दिनांक 29-1-99 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./887 दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. .... को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या. कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए जागृति उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित कोरबा विकासखंड कोरबा पंजीयन क्रमांक 2628 दिनांक 29-1-99 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./523.—वन पर्यावरण सहकारी समिति मर्या. कोरबा वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 3816 दिनांक 12-11-96 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./551 दिनांक 14-08-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. .... को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या. कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए वन पर्यावरण सहकारी समिति मर्यादित कोरबा विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 3816 दिनांक .... का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./524.—पार्ट मेकर्स थ्रिफ्ट सहकारी समिति मर्या. तिलकेजा वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 2682 दिनांक 21-1-93 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./891 दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. .... को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या. कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्मत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए पार्ट मेकर्स थ्रिफ्ट सहकारी समिति मर्यादित कोरबा विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 2682 दिनांक 21-1-93 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./525.—NCDC थ्रिफ्ट उप. सहकारी समिति मर्या. कोरबा वि. ख. कोरबा पंजी. क्र. 3098 दिनांक 2-4-78 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./890 दिनांक 31-10-09 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. .... को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या. कोरबा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए NCDC थ्रिफ्ट उप. सहकारी समिति मर्यादित कोरबा विकासखंड कोरबा, पंजीयन क्रमांक 3098 दिनांक 2-4-78 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./10/529.—वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या. गुरसिया वि. ख. पोड़ीउपरोड़ा पंजी. क्र. 2782 दिनांक 13-2-1964 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./1370 दिनांक 31-03-76 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. पोड़ीउपरोड़ा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या. गुरसिया की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए वन श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित गुरसिया विकासखंड पोड़ीउपरोड़ा, पंजीयन क्रमांक 2782 दिनांक 13-2-64 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./530.—विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्या. जटगा वि. ख. पोड़ीउपरोड़ा पंजी. क्र. 2280 दिनांक 21-1-59 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2070 दिनांक 12-11-91 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. पोड़ीउपरोड़ा को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या. जटगा की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित जटगा विकासखंड पोड़ीउपरोड़ा, पंजीयन क्रमांक 2280 दिनांक 21-1-59 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./552.—आदर्श कामगार सहकारी समिति मर्या. कनकी वि. ख. करतला पंजी. क्र. 3856 दिनांक 25-2-97 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./543 दिनांक 13-08-2008 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. करतला को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या. करतला की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए आदर्श कामगार सहकारी समिति मर्यादित कनकी विकासखंड करतला , पंजीयन क्रमांक 3856 दिनांक 25-2-97 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्रमांक/उपंको/परि./10/553.—कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्या. पुरैना वि. ख. करतला पंजी. क्र. 3835 दिनांक 25-2-97 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./542 दिनांक 13-08-2008 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. करतला को परिसमापक नियुक्त किया था.

परिसमापक द्वारा उक्त सहकारी समिति मर्या. पुरैना की सम्पूर्ण कार्यवाही करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है अत: मैं दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा, जिला कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा (18) (1) (2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए कामगार एवं कारीगर सहकारी समिति मर्यादित पुरैना विकासखंड करतला, पंजीयन क्रमांक 3835 दिनांक 25-2-97 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) को समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.